

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका सं० :- 9/निधि-स्कीम (0101-पुल प्रक्षेत्र)-02-10/2026-

79 (S) weA

पटना, दिनांक - 19/9/2022

सेवा में, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मु०) /
कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, (आवंटन विवरणी के अनुसार)।

विषय: मांग सं०-41 के मुख्य शीर्ष- 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष- 03-
राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-101-सेतु, उपशीर्ष-0101-पुल, विपत्र कोड- 41-5054031010101, विषय
शीर्ष- 0101.53.01- मुख्य निर्माण कार्य मद अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निधि का
आवंटन।

आदेश: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं०-7 में अंकित मांग पत्र के आलोक में
संबंधित प्रमंडलों / निगम को आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं०- 5 में अंकित राशि के अनुसार कुल
₹42,13,32,706/- (बयालिस करोड़ तेरह लाख बत्तीस हजार सात सौ छः रुपये) मात्र निधि का
आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित प्रमंडलों / निगम को आवंटन विवरणी के अनुसार
वर्ष 2026-27 में कुल आवंटित राशि स्तम्भ सं०-6 के अनुसार हो जायेगी।

2. यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय-व्यय 2026-27 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
3. यह व्यय मांग संख्या- 41 के मुख्य शीर्ष-5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य
शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघुशीर्ष-101-सेतु, उप शीर्ष-0101-पुल, विपत्र कोड-
41-5054031010101, विषय शीर्ष- 0101.53.01- मुख्य निर्माण कार्य मद अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष
2026-27 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि.(2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक-
236/वि. दिनांक- 09.03.2026 एवं पत्रांक-314 /वि. दिनांक-01.04.2026 में दिये गये निदेश के
आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. इस संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक - 586 दिनांक- 26.05.2026 में अंकित दिशा-निर्देश के आलोक में
कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जाय, जितना तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक हो तथा किसी
रूप में राशि की निकासी कर बैंक खाते में Park नहीं किया जाय।
6. प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के
विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम०-4-53/2007-6439 दिनांक-28.08.2018 एवं अन्य संबंधित
विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
7. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
8. यह व्यय प्रशासनिक एवं प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
9. आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया
जाय। आवंटित से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत
परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा
जाय।
10. आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों के मूल्य के समतुल्य राशि आवंटित राशि
से घटाने के पश्चात् अवशेष राशि व्यय किया जाय। अलकतरा का उपयोग विभागीय संकल्प सं०-
6191 (एस) दिनांक- 08.09.2001 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जाय।

7

- संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

क्रम सं०	प्रमंडल / कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग(मु०) के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के लिए	0101.53.01	346,50,00,000	40,00,00,000	386,50,00,000	BRPNNL - 2156 / 18.08.2026

(31)

आवंटन विवरणी

आई.टी. नमोजर

संचिका सं० : - १/निधि-स्कीम (०१०१-पुल प्रक्षेत्र)-०२-१०/२०२६-

७५ (९) ५५५

पटना, दिनांक - ११/११/२०२६

(राशि रुपये में)

क्रम सं०	प्रमंडल / कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
2	कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना	०१०१.५३.०१	२,००,००,०००	२,००,००,०००	४,००,००,०००	१३५९/ १६.०५.२०२६
3	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी	०१०१.५३.०१	०	१३,३२,७०६	१३,३२,७०६	७७८/ ०८.०५.२०२६ GST Claim वित्त विभागीय संकल्प-६७४/वि० दिनांक-२२.०१. २०२४ अनुपालनीय
योग			३४८,५०,००,०००	४२,१३,३२,७०६	३९०,६३,३२,७०६	
वर्तमान आवंटन (शब्दों में) बयालिस करोड़ तेरह लाख बत्तीस हजार सात सौ छः रुपये मात्र ।						

अंजनी कुमार
०८/११/२६
(अंजनी कुमार)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

९

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।